<u>कुशल खिलाड़ियों के संबंध में वर्तमान व्यवस्था</u>

1– कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या:22/21/ 1983– कार्मिक–2, दिनांक 28–11–1985 में राज्याधीन समूह–''ख'' व समूह ''ग'' की समस्त सेवाओं/ पदों, चाहे वह लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हों या उसके बाहर हों, पर भर्ती हेतु वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिये जाने के प्राविधान हैं ।

2– नागरिक पुलिस/पीएसी के उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर/ कान्सटेबिल के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या:22/15/1986–कार्मिक–2 दिनांक 23–12–1993 में निम्नलिखित व्यवस्था है:–

(1) नागरिक पुलिस/पीएसी के उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर/ कान्सटेबिल के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु सीधी भर्ती तथा विभागीय भर्ती की रिक्तियों को मिलाकर उनमें से 02 प्रतिशत रिक्तियां अलग कर ली जायेंगी जिन्हें कुशल खिलाड़ियों से भरा जायेगा, जिसके लिये निर्धारित अर्हतायें/अपेक्षायें पूर्ण करने वाले 'ओपेन मार्केट' के कुशल खिलाड़ियों तथा विभागीय कुशल खिलाड़ियों को पात्र माना जायेगा ।

(2) ऐसे चयनों में कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या:22/21/1983 –कार्मिक–2 दिनांक 28–11–1985 में व्यवस्थित आयु सीमा के अतिरिक्त आयु सीमा में और कोई छूट अनुमन्य न होगी ।

(3) चयन की प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, चिकित्सीय उपयुक्तता प्रमाण–पत्र आदि की निर्धारित व्यवस्थाओं में भी कोई छूट अनुमन्य न होगी ।

(4) कुशल खिलाड़ियों की प्रोन्नति भी 'आउट ऑफ टर्न' नहीं की जायेगी ।

3– नागरिक पुलिस में उप निरीक्षक एवं कान्स्टेबिल (पुरूष/महिला) तथा पी0ए0सी0 में प्लाटून कमाण्डर एवं कान्स्टेबिल के पदों पर चयन के लिये शासन के **कार्यकारी** आदेश संख्या:1238/6–पु0–10–98–1200 (32)/97 दिनांक 19–05–98 के द्वारा प्रणाली निर्धारित की गयी थी तथा इसके अनुक्रम में निर्गत कार्यकारी आदेश संख्या–01/6–पु0–10–98 दिनांक 02–01–1999 के द्वारा कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या:22/15/1986–कार्मिक–2 दिनांक 23–12–1993 में उल्लिखित 02 प्रतिशत पदों पर कुशल खिलाड़ियों के चयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कुशल खिलाड़ियों का चयन कार्यकारी आदेश दिनांक 29–05–98 के द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित भर्ती बोर्ड की संस्तुति पर शासन के अनुमोदनोंपरान्त किया जाना अपेक्षित था ।

4–(अ)– उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2008 (यथा संशोधित–2009) के नियम–6 में कुशल खिलाड़ियों के आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:–

'अनुसूचित जातियों–अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। **राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।** परन्तु शारीरिक रूप से विकलांग पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नही होंगे'।

4–(ब)– इसी प्रकार उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 (यथा संशोधित–2009) के नियम–6 में कुशल खिलाड़ियों के आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:–

'अनुसूचित जातियों–अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। **राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।** परन्तु शारीरिक रूप से विकलांग पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नही होंगे'।

4–(स)– उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2008 के नियम–6 व उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्टेट बैण्ड अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2009 के नियम–6 में कुशल खिलाड़ियों के आरक्षण के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं

दी गयी है। यद्यपि कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या:22/15/1986–कार्मिक–2 दिनांक 23–12–1993 में पीएसी के उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर/कान्सटेबिल के पदों पर भी कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के सम्बन्ध में व्यवस्था है। इन नियमावलियों के नियम–6 इस प्रकार हैं:–

'अनुसचित जातियों, अनूसचित जनजातियों और अन्य श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा' ।

4–(द)– उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2010 के नियम–6 तथा कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या:22/15/1986–कार्मिक–2 दिनांक 23–12–1993 में उ0प्र0 अग्निशमन सेवा के फायरमैन व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों के आरक्षण के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है ।

5– उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का गठन कार्यकारी आदेश संख्या:1256/6–पु0–10–2008–27(7)/08 दिनांक 02–12–2008 के द्वारा पूर्व में निर्गत समस्त कार्यकारी आदेश एवं शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए किया गया है। सूच्य है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के गठन के पूर्व नागरिक पुलिस में उप निरीक्षक एवं कान्स्टेबिल (पुरूष/महिला) तथा पी0ए0सी0 में प्लाटून कमाण्डर एवं कान्स्टेबिल के पदों पर चयन के लिये शासन के कार्यकारी आदेश संख्या:1238/6–पु0–10–98–1200 (32)/97 दिनांक 19–05–98 के द्वारा प्रणाली निर्धारित की गयी थी तथा इसके अनुक्रम में निर्गत कार्यकारी आदेश संख्या–01/6–पु0–10–98 दिनांक 02–01–1999 के द्वारा कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या:22/15/1986–कार्मिक–2 दिनांक 23–12–1993 में उल्लिखित 02 प्रतिशत पदों पर कुशल खिलाड़ियों के चयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कुशल खिलाड़ियों का चयन कार्यकारी आदेश दिनांक 29–05–98 के द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित भर्ती बोर्ड की संस्तुति पर शासन के अनुमोदनोंपरान्त किया जाना अपेक्षित था ।

6– कार्यकारी आदेश संख्या:1256/6–पु0–10–2008–27(7)/08 दिनांक 02–12–2008 के द्वारा उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के गठन के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत शासन के उक्त कार्यकारी आदेश संख्या:1238/6–पु0–10–98–1200 (32)/97 दिनांक 19–05–98 तथा कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के सम्बन्ध में निर्गत कार्यकारी आदेश संख्या–01/6–पु0–10–98 दिनांक 02–01–1999 **अतिक्रमित माने जायेंगे** तथा इन पदों पर भर्ती प्रख्यापित सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी ।

7– उपरोक्त से स्पष्ट है कि नागरिक पुलिस/पीएसी के उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर/कान्सटेबिल के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या:22/21/1983 –कार्मिक–2 दिनांक 28–11–1985 में व्यवस्थित आयु सीमा (05 वर्ष की आयु सीमा) में छूट के अतिरिक्त आयु सीमा में और कोई छूट अनुमन्य न होगी तथा चयन की प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, चिकित्सीय उपयुक्तता प्रमाण–पत्र आदि की निर्धारित व्यवस्थाओं में भी कोई छूट अनुमन्य न होगी। इस प्रकार कुशल खिलाड़ियों की भर्ती में लम्बवत् आरक्षण व क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत अनुमन्य आयु सीमा की छूट का कोई लाभ अनुमन्य न होगा तथा कुशल खिलाड़ी के कोटे की 2 प्रतिशत रिक्तियां केवल कुशल खिलाड़ियों से ही भरी जायेंगी ।